शैक्षिक समाचार राजस्थान

कार्यालय , निदेशक, प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा / प्रारं / शैक्षिक / मानदण्ड / 2016–17 दिनांक 14.04.16

परिपत्र

विषय– परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा के मानदण्ड एवं दायित्व ।

प्रासंगिक परिपत्र द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये। उक्त निर्देश परिपत्र के कम में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 8 एव 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों के लिये निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते है:–

1 संस्था प्रधानः–

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम** – विद्यालय का कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनो के लिये)

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम** – विद्यालय कक्षा 8 एव 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।

नोटः–यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।

(स) **नामांकनः**–राज्य के विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिये 150, कक्षा 6 से 8 के लिये 105 अपेक्षित है।

विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के ब्लॉकवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप्रावि एवं प्रावि के संस्थाप्रधानों को उक्त नामाकंन आवंटित किया जाएगा। नामांकन लक्ष्य संस्थाप्रधान द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी उनके विरूद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी।

14/4/16

2 **शिक्षकः–**

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम** – कक्षा 8 एव 5 में अध्यापन किये जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 95 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनो के लिये।)

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम** – शिक्षक का कक्षा 8 एव 5 में अध्यापको (लेवल I अथवा लेवल II जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर शिक्षक के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।
नोटः–यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।

(स) **नामांकनः–** विभाग द्वारा नामांकन वृद्धि के लिये सभी विद्यालयों के ब्लॉकवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये है, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा उप्रावि एवं प्रावि के संस्थाप्रधानों को उक्त नामाकंन लक्ष्य आवंटित किया जाएगा। संस्थाप्रधान द्वारा कार्यरत शिक्षको के माध्यम से उक्त नामाकंन लक्ष्य समयबद्ध अवधि में प्राप्त करना है। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई तो ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव ब्लॉक शिक्षा अधिकारी द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को अपना गत सत्र का शेष नामांकन लक्ष्य वर्तमान सत्र 2016–17 में प्राप्त करना होगा।

3 **कियान्वयन की रूपरेखाः–** उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगाः–

3.1 संस्था प्रधान /शिक्षक का, सत्र में (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यावस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

15/5/16

3.3 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गो का कुल परिणाम (सभी कक्षा–वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उतीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.4 सानुग्रह उर्तीण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उतीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

4 **सक्षम अधिकारी**:–

4.1 संस्था प्रधान को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

संस्था प्रधान उप्रावि के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी प्रारंभिक द्वारा संबंधित उप निदेशक माध्यमिक शिक्षा को प्रेषित करेंगे , जिस पर मण्डल अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी।

4.2 शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) द्वारा दिया जाएगा।

अध्यापक ग्रेड III (लेवल II एवं लेवल I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (प्रारंभिक) द्वारा की जाएगी।

5 **समय सारिणी**:–

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम एवं सामान्यतः नामांकन की प्रकिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है अतः उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान/ शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना

5.3 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना– 15 नवम्बर से पूर्व

5.4 संस्था प्रधान संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना– 15 दिसम्बर से पूर्व

5.5 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को पहुचांना –15 जनवरी से पूर्व

5.6 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान– 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में

14/9/16

5.7 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशासनिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये प्रेषित करेंगे।

6 न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–

6.1 न्यून परीक्षा परिणाम/ नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण –30 जुलाई तक

6.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करना– 10 अगस्त तक

6.3 कारण बताओं नाटिस का प्रत्यूत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि– 30 अगस्त तक

6.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना – 10 सितम्बर तक

6.5 आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना – 25 सितम्बर तक

6.6 व्यक्तिगत सुनवाई – 10 अक्टूबर तक

6.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना– 15 अक्टूबर तक

उक्त निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

14/5/16

(जे.सी पुरोहित)
आईएएस
निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2 निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2 समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक
3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक
4 वरिष्ठ सम्पादक शिविरा प्रकाशन, बीकानेर
5 समस्त संस्था प्रधान
6 रक्षित पत्रावली

14/5/16

निदेशक
प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय , निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

शिविरा / माध्य / निप्र / डी–1 / 2101 / II / 99–2000 / 53005 दिनांक 14.04.16

परिपत्र

विषय– परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा के मानदण्ड एवं दायित्व ।

विभागीय परिपत्र दिनांक 07.05.15 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा के लिये समीक्षात्मक मानदण्ड निर्धारित करते हुए निर्देश जारी किये गये। उक्त निर्देश परिपत्र के कम में नवीन प्रावधानों एवं आवश्यकताओं को सम्मिलित कर अद्यतन करते हुए कक्षा 12, 10 , 8 एव 5 के संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों (व्याख्याताओं, वरिष्ठ अध्यापकों एवं अध्यापक ग्रेड III लेवल II एवं I) के लिये निम्नांकित मानदण्ड नियत कर निर्देश जारी किये जाते है:–

1 संस्था प्रधान:–

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम** – विद्यालय का कक्षा **12 एवं 10** के बोर्ड परीक्षा परिणाम 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा **8 एव 5** के परीक्षा परिणाम में 90 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर, संस्था प्रधान को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12, एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनो के लिये।)

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम** – विद्यालय का कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत से न्यून एवं 10 के बोर्ड परीक्षा परिणाम 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एव 5 के परीक्षा परिणाम में 50 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर संस्था प्रधान के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी।

नोट:–यदि विद्यालय का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु दूसरी परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।

(स) **नामांकनः**—राज्य के आदर्श विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिये 150, कक्षा 6 से 8 के लिये 105, कक्षा 9 से 10 में 100 तथा कक्षा 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 100 अपेक्षित है।

अन्य विद्यालयों में नामांकन कक्षा 1 से 5 के लिये 150, कक्षा 6 से 8 के लिये 105, कक्षा 9 से 10 में 80 तथा कक्षा 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 60 अपेक्षित है।

विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015—16 से 2017—18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। जिन संस्थाप्रधानों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की जाएगी उनके विरूद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले विद्यालयों को अपना गत सत्र का शेष नामांकन लक्ष्य वर्तमान सत्र 2016—17 में प्राप्त करना होगा।

2 **शिक्षकः—**

(अ) **श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम** — शिक्षक का कक्षा 12 एवं 10 में अध्यापन किये जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 100 प्रतिशत अथवा उससे अधिक रहने पर तथा कक्षा 8 एव 5 में अध्यापन किये जा रहे विषय परीक्षा परिणाम में 100 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड ए प्राप्त करने पर शिक्षक को विभाग द्वारा प्रमाणपत्र दिया जाएगा। (विद्यालय के परीक्षा परिणाम में कक्षा 12, एवं 10 की बोर्ड परीक्षा परिणाम में से किसी एक अथवा दोनों के लिये एवं इसी प्रकार कक्षा 8 एवं 5 के परीक्षा परिणाम में किसी एक अथवा दोनो के लिये।)

(ब) **न्यून परीक्षा परिणाम** — शिक्षक का कक्षा 12 में अध्यापन किये जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 70 प्रतिशत अथवा न्यून एवं 10 अध्यापन किये जा रहे विषय का बोर्ड परीक्षा परिणाम 60 प्रतिशत अथवा न्यून रहने पर तथा कक्षा 8 एव 5 में अध्यापको (लेवल I अथवा लेवल II जो निर्धारित हो) के कक्षा/विषय का परीक्षा परिणाम में 40 प्रतिशत या अधिक विद्यार्थियों द्वारा ग्रेड डी प्राप्त करने पर शिक्षक के विरूद्ध विभाग द्वारा सीसीए नियम 17 के तहत कार्यवाही प्रारंभ की जाऐगी। नोटः—यदि शिक्षक का परीक्षा परिणाम किसी एक परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा एक विषय (दो या अधिक विषय अध्यापन की स्थिति में) में उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हो परन्तु अन्य परीक्षा (कक्षा 12 एवं 10 में से एक अथवा कक्षा 8 एवं 5 में से एक) अथवा अन्य विषय (दो या अधिक विषय शिक्षण की स्थिति में) में मानदण्ड से न्यून हो, जिसके लिये उसे सीसीए 17 में नोटिस दिया जा रहा हो तो श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र नही दिया जाएगा।

(स) **नामांकनः**— विभाग द्वारा उक्तानुसार नामांकन के लिये सभी विद्यालयों के सत्र 2015—16 से 2017—18 तक के लिये विद्यालयवार नामांकन लक्ष्य निर्धारित किये गये थे, जो कि विभागीय वेबसाईट www.rajshiksha.gov.in पर उपलब्ध है। उक्त लक्ष्यों के अनुरूप संस्थाप्रधान को विद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को नामांकन लक्ष्य निर्धारित कर आवंटित किये गये है। जिन शिक्षकों द्वारा उक्त लक्ष्य की प्राप्ति समयबद्ध कार्यक्रमानुसार नहीं की गई एवं इससे विद्यालय के नामांकन लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हुई । ऐसे शिक्षकों के विरूद्ध सीसीए 17 में विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव संस्था प्रधान द्वारा विभाग के सक्षम अधिकारी को प्रस्तावित की जाएगी, जिस पर गुणावगुण के आधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा कार्यवाही की जाएगी। इन नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले शिक्षकों को अपना गत सत्र का शेष नामांकन लक्ष्य वर्तमान सत्र 2016—17 में प्राप्त करना होगा।

3 **कियान्वयन की रूपरेखाः**— उपर्युक्त मानदण्डों के अनुसार संस्था प्रधान अथवा शिक्षक को परीक्षा परिणाम एवं नामांकन हेतु प्रमाणपत्र या कार्यवाही नोटिस देने से पूर्व निम्नांकित तथ्यों पर विचार किया जाना अनिवार्य होगाः—

3.1 संस्था प्रधान /शिक्षक का, सत्र में (जुलाई से फरवरी) संस्था में न्यूनतम ठहराव 5 माह आवश्यक हो। शैक्षिक व्यावस्थार्थ अथवा अतिरिक्त संचालन हेतु नियुक्त अध्यापक की उक्त अवधि भी शिक्षण अवधि में सम्मिलित की जाएगी।

3.2 परीक्षा परिणाम की गणना के लिये पूरक परीक्षा परिणाम को सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

3.3 जिन उच्च माध्यमिक विद्यालय में एक से अधिक संकाय संचालित है के परीक्षा परिणाम की गणना करते समय दो या अधिक संकायों का कुल परिणाम (सभी संकायों के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उतीर्ण विद्यार्थी) आकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.4 एक ही शिक्षक द्वारा एक ही कक्षा एवं विषय का शिक्षण से एक से अधिक कक्षा वर्ग में कराया गया हो तो परीक्षा परिणाम की गणना करते समय उस कक्षा के सभी वर्गो का कुल परिणाम (सभी कक्षा—वर्ग के प्रविष्ठ कुल विद्यार्थियों की तुलना में कुल उतीर्ण विद्यार्थी) आंकलित किया जाकर गणना की जाएगी।

3.5 यदि एक ही विषय का अध्यापन एक से अधिक अध्यापकों द्वारा विषय खण्ड के रूप में कराया गया हो (जैसे विज्ञान का जीव विज्ञान के पाठ एक अध्यापक द्वारा तथा भौतिक—रसायन संबंधित पाठ अन्य शिक्षक द्वारा) तो परिणाम के लिये दोनो समान रूप से उत्तरदायी होंगे।

3.6 सानुग्रह उर्तीण विद्यार्थियों के परीक्षा परिणाम को विद्यालय एवं शिक्षक के परीक्षा परिणाम को उतीर्ण विद्यार्थियों के साथ सम्मिलित किया जाएगा।

4 **सक्षम अधिकारी:–**

4.1 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित मण्डल अधिकारी द्वारा दिया जाएगा।

संस्था प्रधान एवं व्याख्याता के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही निदेशालय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर द्वारा की जाएगी।

4.2 वरिष्ठ अध्यापक एवं शिक्षक को श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) द्वारा दिया जाएगा।

वरिष्ठ अध्यापक के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित मण्डल अधिकारी तथा अध्यापक ग्रेड III (लेवल II एवं लेवल I) के न्यून परीक्षा परिणाम हेतु उनके विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (माध्यमिक/प्रारंभिक) द्वारा की जाएगी।

5 **समय सारिणी:–**

5.1 उपर्युक्त परिपत्र में उल्लेखित कक्षाओं के लिये परीक्षा परिणाम एवं सामान्यतः नामांकन की प्रक्रिया जुलाई माह तक सम्पन्न कर ली जाती है अतः उपर्युक्त मानदण्ड अनुरूप कार्यवाही निम्नानुसार करने का दायित्व संबंधित अधिकारियों का होगा।

5.2 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम देने वाले संस्थाप्रधान/व्याख्याता/वरिष्ठ अध्यापक/शिक्षकों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित करना।

5.2.1 संस्था प्रधान द्वारा जिला शिक्षा अधिकारी को सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना– 15 नवम्बर से पूर्व

5.2.2 संस्था प्रधान एवं व्याख्याता हेतु संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा संबंधित मण्डल अधिकारी को अनुशंषा सहित सूची मय परिणाम प्रति प्रस्तुत करना– 15 दिसम्बर से पूर्व

5.2.3 संबंधित मण्डल एवं जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु तैयार हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र संस्थाप्रधान को पहुचांना –15 जनवरी से पूर्व

5.2.4 श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम हेतु प्रमाण पत्र सम्मान– 26 जनवरी को शाला के गणतन्त्र दिवस समारोह में

5.3 जिला शिक्षा अधिकारी प्रति वर्ष श्रेष्ठतम परीक्षा परिणाम देने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का नाम राज्य एवं जिला स्तरीय राज्य समारोह में सम्मान हेतु अपनी अभिशंषा सहित पूर्ण प्रस्ताव उचित माध्यम से जिला प्रशासन एवं सामान्य प्रशारानिक सुधार विभाग राजस्थान को उनके द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरूप निर्धारित कार्यक्रम के लिये प्रेषित करेंगे।

5.4 **न्यून परीक्षा परिणाम हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जानी है:–**

5.4.1 न्यून परीक्षा परिणाम/ नामांकन लक्ष्य प्राप्त नहीं करने वाले संस्था प्रधान एवं शिक्षक का निर्धारण –30 जुलाई तक

5.4.2 सक्षम अधिकारी द्वारा कारण बताओं नोटिस जारी करना– 10 अगस्त तक

5.4.3 कारण बताओं नोटिस का प्रत्यूत्तर प्राप्त करने की अंतिम तिथि– 30 अगस्त तक

5.4.4 विश्लेषण उपरांत आरोप पत्र जारी करना – 10 सितम्बर तक

5.5.5 आरोप पत्र का जवाब प्राप्त करना – 25 सितम्बर तक

5.5.6 व्यक्तिगत सुनवाई – 10 अक्टूबर तक

5.5.7 आरोप पत्र पर निर्णय पारित करना– 15 अक्टूबर तक

6 उक्त निर्देशों में निर्धारित उत्तरदायित्व एवं समय सारिणी अनुसार आवंटित कार्य समयबद्ध नहीं करने पर संबधित अधिकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही की जा सकेगी।

(बी.एल स्वर्णकार)
आईएएस
निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:–

1 शासन सचिव, स्कूल शिक्षा राजस्थान सरकार, जयपुर
2 निदेशक प्रारंभिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर
2 समस्त उप निदेशक माध्यमिक/प्रारंभिक
3 समस्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक/प्रारंभिक
4 वरिष्ठ सम्पादक शिविरा प्रकाशन, बीकानेर
5 समस्त संस्था प्रधान
6 रक्षित पत्रावली

निदेशक
माध्यमिक शिक्षा राजस्थान
बीकानेर

कार्यालय–निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा/माध्य/निप्र/डी–1/21901/पप/2017/212 दिनांक–24.05.2019

:: परिपत्र ::

विषय–परीक्षा परिणाम एवं नामांकन समीक्षा मानदण्ड एवं दायित्व के सम्बन्ध में।

समसंख्यक विभागीय परिपत्र दिनांक : 18.04.16 द्वारा परीक्षा परिणाम एवं नामांकन की समीक्षा हेतु नवीन मानदण्ड एवं दायित्व निर्धारित किये गये हैं, जो कि शैक्षिक सत्र : 2016–17 से प्रभावी हैं। राजकीय विद्यालयों में नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य अर्जन को प्राथमिकता सम्बन्धी अपेक्षाओं के क्रम में परीक्षा परिणाम एवं नामांकन लक्ष्य को पारस्परिक अन्याश्रित रूप प्रदान करने हेतु संदर्भित निर्देश दिनांक : 18.04.16 के बिन्दु सं0 – 1 (ब) एवं 2 (ब) द्वारा विहित अनुशासनिक कार्यवाही पर निर्णय से पूर्व विचारार्थ एतद् द्वारा अतिरिक्त प्रावधान सम्मिलित किए जाते हैं :–

- **नामांकन** – वर्तमान में कक्षा समूहवार निर्धारित आदर्श नामांकन लक्ष्यों के अनुरूप प्राथमिक स्तर पर कक्षा – 1 से 5 के लिए 150, उच्च प्राथमिक स्तर पर कक्षा – 6 से 8 के लिए 105, माध्यमिक स्तर पर कक्षा – 9 से 10 के लिए 100 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर कक्षा – 11 से 12 में संकाय अनुसार प्रति संकाय 100 विद्यार्थियों का नामांकन अपेक्षित है। समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी प्रवेशोत्सव कार्यक्रम प्रारम्भ होने से पूर्व ही उक्त आदर्श नामांकन के अनुरूप क्षेत्राधिकार में प्रत्येक विद्यालय हेतु उस वर्ष के लिए नामांकन लक्ष्य का निर्धारण करेंगे। जिन विद्यालयों का नामांकन पूर्व से ही आदर्श नामांकन के अनुरूप अथवा उससे अधिक है, तो तुलनात्मक रूप से सामान्यतया 10 प्रतिशत तक नामांकन वृद्धि का लक्ष्य आवंटित किया जावे। उक्तानुरूप प्रत्येक विद्यालय को आवंटित नामांकन वृद्धि के लक्ष्य का अंकन विद्यालय के नामांकन रजिस्टर में दर्ज कर नव प्रवेशित विद्यार्थियों के साथ अभिलेखपूर्वक संधारित किया जावे। संस्था प्रधान नामांकन वृद्धि हेतु आवंटित लक्ष्य को कक्षावार पृथक्–पृथक् शिक्षकों में वितरित कर उसका अभिलेख समुचित रूप से संधारित करेंगे। नामांकन प्रक्रिया पूर्ण होने (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) के उपरान्त संस्था प्रधान द्वारा नामांकन वृद्धि एवं लक्ष्य प्राप्ति की कक्षावार एवं शिक्षकवार समीक्षा की जाएगी। समीक्षा के अनुरूप लक्ष्य प्राप्ति की स्थिति होने अथवा न होने के सम्बन्ध में स्पष्ट टिप्पणी सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज की जाएगी। इसी प्रकार जिला स्तर पर संबंधित मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा क्षेत्राधिकार के समस्त विद्यालयों हेतु आवंटित लक्ष्यों के विरूद्ध कक्षा समूहवार अर्जित नामांकन वृद्धि अथवा कमी का सुस्पष्ट अंकन सम्बन्धित अभिलेखों में कर तद्नुरूप सम्बन्धित संस्था प्रधान को प्रमाण – पत्र/नोटिस जारी किया जाएगा।
- **परीक्षा परिणाम** – संदर्भित परिपत्र दिनांक : 18.04.16 में बोर्ड कक्षाओं के परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु संस्था प्रधान एवं शिक्षकों के लिये परीक्षा परिणाम के मानदण्ड निर्धारित हैं, परन्तु संस्था प्रधानों/शिक्षकों द्वारा विद्यालय में नामांकन वृद्धि हेतु किए गए प्रयासों को परीक्षा परिणाम मानदण्ड से जोड़ते हुए एतद् द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में कक्षा समूह वार प्रदत्त नामांकन लक्ष्यों की शत्–प्रतिशत प्राप्ति की गई है, तो उन्हें न्यून परीक्षा परिणाम की समीक्षा हेतु निर्धारित मानदण्ड में अधिकतम 10 प्रतिशत तक का शिथिलन प्रदान किया जा सकेगा। उदाहरणार्थ – यदि माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 50 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 40 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक विद्यालय के संस्था प्रधान के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी अनुरूप शिक्षक द्वारा नामांकन हेतु

Scanned by CamScanner

आवंटित लक्ष्य की प्राप्ति पर समीक्ष्य सत्र में उसे परीक्षा परिणाम मानदण्ड में 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देय होगा । उदाहरणार्थ – यदि माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 60 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 50 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक कक्षा में शिक्षण करवाने वाले शिक्षक द्वारा समीक्ष्य सत्र में लक्षित नामांकन अर्जित (सामान्यतया प्रतिवर्ष 30 सितम्बर तक) कर लिया गया है, तो तत्सम्बन्धी शिक्षक के लिए परीक्षा परिणाम हेतु निर्धारित मानदण्ड में 70 प्रतिशत के स्थान पर 10 प्रतिशत तक का अधिकतम शिथिलन देते हुए 60 प्रतिशत अथवा उससे न्यून मानते हुए आगामी कार्यवाही सम्पादित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त नामांकन में लक्ष्य से 100 प्रतिशत अधिक उल्लेखनीय वृद्धि करने वाले संस्था प्रधानों एवं शिक्षकों को विशेष वृद्धि (लक्ष्य से अधिक) के प्रतिशत अनुपात में विहित परीक्षा परिणाम मानदंडों में शिथिलन देय होगा।

- उल्लेखित शिथिलन हेतु सम्बन्धित संस्था प्रधान/शिक्षक की पात्रता पर उसी स्थिति में विचार किया जाएगा, जब कि सम्बन्धित अनुशासनिक प्राधिकारी के समक्ष सम्बन्धित नियंत्रण अधिकारी द्वारा प्रदत्त तत्सम्बन्धी प्रमाण – पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

उपर्युक्त प्रावधान तत्काल प्रभाव से लागू होंगे। परिपत्र में वर्णित अन्य मानदण्ड एवं निर्देश यथावत रहेंगे।

(नथमल डिडेल)
आई.ए.एस.
निदेशक,माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान,बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. आयुक्त,स्कूल शिक्षा एवं राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद सह विशिष्ट शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
3. राज्य परियोजना निदेशक,समग्र शिक्षा अभियान एवं अतिरिक्त आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
4. निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा एवं पंचायत राज (प्रारम्भिक शिक्षा), राजस्थान, बीकानेर।
5. सचिव, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान, अजमेर।
6. निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्., उदयपुर।
7. निदेशक, शैक्षिक प्रौद्योगिकी विभाग (ई.टी.सैल.), राजस्थान, अजमेर।
8. समस्त संभागीय संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा।
9. समस्त मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान।
10. वरिष्ठ संपादक ''शिविरा'',प्रकाशन अनुभाग, कार्यालय हाजा को आगामी अंक में प्रकाशनार्थ।
11. सिस्टम एनालिस्ट, कम्प्यूटर अनुभाग, कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
12. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय)–माध्यमिक/प्रारम्भिक ।
13. समस्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी एवं ब्लॉक संदर्भ केन्द्र प्रभारी, समग्र शिक्षा अभियान ।
14. स्टाफ ऑफिसर, कार्यालय हाजा।
15. रक्षित पत्रावली।

उप निदेशक (माध्यमिक)
माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान
बीकानेर

Scanned by CamScanner